प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 03/2025

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्रीमती हुमेश्वरी साहू, निवासी–TC-5, SBS कॉलोनी SECL, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26 नवम्बर 2025

अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 22.08.2025 को प्रेषित आवेदन के अनुसार जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर में सत्र 2014–2015 में B.ED विषय के परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण एवं अनुतीर्ण छात्र–छात्राओं के नाम, नामाकंन नम्बर, रोल नम्बर सहित सूची की सत्यापति प्रति देने, विश्वविद्यालय से सत्र 2014–2015 में B.ED फर्जी डिग्रीधारी की सूची की सत्यापित प्रति देने, विश्वविद्यालय को सत्र 2014–2015 में B.ED कोर्स चलाने की मान्यता सम्बन्धित दस्तावेज की सत्यापित प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट के आवेदन के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी ने यह प्रथम सूचना अपील इस कार्यालय को जरिये डाक के दिनांक 27.10.2025 को प्रेषित की गई है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा से अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा अपील के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु दिनांक 12.11.2025 नियत की जाकर अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई हेतु निर्धारित की गई तिथी को अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुई। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा की ओर से सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री गंगाराम डांगी, उपस्थित हुए।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ. 2025/125 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित की गई है।

दौराने सुनवाई लोक सूचना अधिकारी की ओर से उपस्थित सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री गंगाराम डांगी के द्वारा अपील पर प्रेषित कार्यालय टिप्पणी के अनुसार यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनके कार्यालय को प्रेषित किये गये आवेदन दिनांक 22.08.2025 में उल्लेखित किये गये दस्तावेज/सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से तथा उक्त सूचनाएं जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बन्धित होने से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत उक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जरिये रजिस्टर्ड डाक के पत्रांक एडीसी/सू0अ0/66/2025/99-100 दिनांक 09.09.2025 को प्रकरण स्थानान्तरण कर आवेदक को भी प्रतिलिपि देते हुए सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलान्ट की उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित उक्त टिप्पणी दिनांक 11.11.2025 का बगौर अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया है कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत इस कार्यालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2025 में उल्लेखित किये गये दस्तावेज/सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से तथा उक्त सूचनाएं जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बन्धित होने से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत उक्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जरिये रजिस्टर्ड डाक के पत्रांक एडीसी/सू0अ0/66/2025/99-100 दिनांक 09.09.2025 को प्रकरण स्थानान्तरण कर आवेदक को भी प्रतिलिपि देते हुए सूचित कर दिया गया था। ऐसे में प्रार्थी/आवेदक के आवेदन के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा के द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से आवेदन को सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी जो कार्यवाही निष्पादित की गई है, वह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत नियमानुसार सम्पादित की गई है जो कि उचित प्रतीत होती है। अपीलान्ट ने अपील में उक्त तथ्यों को छुपाया है कि उन्हें उनके आवेदन के अनुसार वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीया ने यह अपील अपील पेश करने हेतु निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि है, व्यतित हो जाने के उपरान्त विलम्ब से अपील पेश की गई है जो मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलार्थी सम्बन्धित विभाग से उक्त सूचनाएं प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर सकते है। इस प्रकार अपीलान्ट की यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें। निर्णय आज दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर